

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राज० जयपुर

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (1) ()/अलेसे- ॥/ 18041-18055

दिनांक : - 13-12-2013

आदेश संख्या 321/ 2013-14

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार (संयुक्त प्रतियोगी) सीधी भर्ती परीक्षा, 2011 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशासनासार चयनित सूची में से गिम्नाकित अभ्यर्थियों के पुलिस वेरीफिकेशन सेवा नियम ६ के अनुसार परिवीक्षाधीन लेखाकार के रूप में उपरिथित देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए रूपये 13050/- (तेरह हजार पचास रुपये गाढ़) प्रति माह के स्थाई पारिश्रमिक पर अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके सदर्ग में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक ५.१ (२) वित्त/नियम/०६ दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उपरिथित देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि वे उनके नाम के रामने अंकित विभाग/कार्यालय में दिनांक ३१-१२-२०१४ तक कार्यालय समय में सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उक्त तिथि के बाद उनके नियुक्ति आदेश रवतः निररत समझे जायेंगे।

क्र. स.	मेरिट क्रमांक	रोल नम्बर	नाम/पिता का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	जन्म तिथि	गृह जिला	श्रेणी	विभाग/ कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	108	300453	राजीव कुमार मदान पुत्र श्री सुरेश कुमार मदान, वाडे नं. 20, नजदीक रेल्वे गेट हाउस, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर- 335804	03-08-1980	श्रीगंगानगर	GE	कोषालय बांसवाड़ा	रिक्त पद पर
4.	255	03765	श्री सुनिल कुमार जैन पुत्र श्री सूरजमल जैन, धीपीओ नगर फोर्ट, तहसील वाया उनियारा जिला टोक- 304024	25-06-1977	टोक	GE	कोषालय प्रतापगढ़	रिक्त पद पर
5.	146	302292	श्री दीप सिंह पुत्र श्री हरिसिंह, म.नं. 544, वाडे नं. 11, नजदीक टीला मंदिर, पुरानी आवादी, श्रीगंगानगर- 335001	10-04-1983	श्रीगंगानगर	GE	कोषालय झूगरपुर	रिक्त पद पर
6.	252	703557	श्री विष्णु सिंह श्री भगवत रिंड प्लॉट नं. 397, तारानगर "ए" झोटपाड़ा, जयपुर- 302012	25-04-1988	जयपुर	GE	जिला एवं सेशन न्यायाधीश झूगरपुर	रिक्त पद पर

उपरोक्त अभ्यर्थियों की लेखाकार पद पर नियुक्ति गिम्नाकित शर्तों पर की जा रही है:-

- उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आयोग द्वारा आयोग द्वारा दीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा गांधीगिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
- यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में अधिकथित नियन्धनों एवं शर्तों के अध्यधीन होगी।
- यह नियुक्ति उप महानिरीक्षक, री.आई.डी (सुरक्षा) जयपुर से अभ्यर्थी के चरित्र के संबंध में संतोषजनक प्रमाण पत्र की शर्त पर है।
- अभ्यर्थी को राजस्थान अधीनरथ लेखा सेवा नियमों के अनुसार भविष्य में अनिवार्य प्रशिक्षण पर उपरिथित देते समय दस रुपये के नॉन ज्यूडिशियल रटाम्प पेपर पर एक अनुवन्ध पत्र/वॉण्ड जो नोटेशन पब्लिक से प्रमाणित हो देना।
- अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वारथ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य विकित्सा अधिकारी तथा उसरो उच्च पद के विकित्सा अधिकारी द्वारा हरताक्षर किये जाने चाहिये किन्तु महिलाओं के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी, किसी गहिला विकित्साक का रवारथ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपरिथित के समय प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा उपरिथित रखीकार्य नहीं होगी।
- इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा विकास अधिकारी तथा उसरो उच्च पद के विकित्सा अधिकारी द्वारा हरताक्षर किये जाने चाहिये किन्तु महिलाओं के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी, किसी गहिला विकित्साक का रवारथ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपरिथित के समय प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा उपरिथित रखीकार्य नहीं होगा।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षानार्थी की परिवीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ता (विशेष भत्ता, मंडगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोगरा आदि) देय नहीं होंगे।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षानार्थी को कार्यग्रहण काल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में सन्तोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर राकेगी।
- उक्त नियुक्तियों माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होगी।
- रामरत अभ्यर्थी अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यालय करने से पूर्व राज्य सेवा में रहते हुए धूमपान एवं गुटखा सेवन न करने सम्बन्धी वचन पत्र आवश्यक रूप से अपने कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करें।

यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण दबाव में उनके हास प्राप्त वेतन एवं भत्ते एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दोगुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोप में जगा कराना होगा।

इस विभाग से पत्र व्यवहार करते समय अभ्यर्थी अपने गेरिट कमांक एवं बैच तर्फ का उल्लेख आवश्य करें अन्यथा उनके पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक,
कोप एवं लेखा विभाग

क्रमांक— एफ.3 (ख) (1) ()/अलेसे— 11/18041-18055

दिनांक :— 13-12-2013.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

..... को प्रेपित कर लेखा है कि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वाय उनके कार्यालय में उपस्थिति देते समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित रखार्थ परीक्षा प्रमाण पत्र लिजा गुरु विकिता अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के परवात ही उपस्थिति स्वीकार की जावे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करायें। साथ ही अभ्यर्थी को कार्यालय कराने से पूर्व राजकीय सेवा में रहते हुए घूमपान एवं गुटला रोबन न करने सम्बन्धी वचन पत्र आवश्यक रूप से पाप्त करें।

4. श्री..... को प्रेपित कर निदेश दिये जाते हैं कि वे निर्धारित तिथि को उनके नाम के सामने अंकित कालग संख्या 8 में दिनांक 31-12-2013 तक कार्यालय समय में आवश्यक रूप से उपस्थित होकर कार्यालय रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. उपनिदेशक (रसीपी) कम्प्यूटर अनुग्राम को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. निजी राहायक, निदेशक महादया।
7. गोपनीय शाखा।
8. संक्षेत्र/निजी पत्रावली।


(के. एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्यिक-1)